बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

सं0सं0-स०क०निग०-57/2026-.2130..../श्रीमती अनिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के संबंध में जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-305 दिनांक-02.04.2026 द्वारा विशेष निगरानी इकाई, पटना के पत्रांक-351, दिनांक-23.02.2026 एवं पत्रांक-353, दिनांक- 23.02.2026 की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि श्रीमती अनिता कुमारी के द्वारा श्री नागेन्द्र कुमार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोचाधामन प्रभारी पोठिया से मो० 1000000/- रु० रिश्वत की मांग की गई, जिसपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (संशोधित 2018) की धारा-7 के अंतर्गत प्राथमिकी कांड संख्या-08/2026 दिनांक-19.02.2026 दर्ज करते हुए दिनांक-20.02.2026 को शिकायतकर्ता, श्री नागेन्द्र कुमार से मो० 50,000/- रु० रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जो विशेष निगरानी इकाई, पटना के न्यायिक हिरासत में है।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती अनिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 की कंडिका-1 की उप कंडिका-'क' एवं 'ख' तथा कंडिका-2 की उप कंडिका-'क' में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की तिथि-20.02.2026 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के नियम-10 के प्रावधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. कारा निरोध से जमानत पर मुक्त होकर योगदान देने पर ये योगदान की तिथि से पुन: निलंबित समझी जायेगीं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय समाज कल्याण विभाग(मु०), बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. विभागीय कार्यवाही के संबंध में आदेश अलग से जारी किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/- 4/5/26
(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-57/2026 2130 पटना-15 दिनांक - 4.5.2026

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/- 4/5/26
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-57/2026- 2130 पटना-15 दिनांक - 4.5.2026

ई-मेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (वेबसाई पर अपलोड हेतु)/श्रीमती अनिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठाकुरगंज प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 4/5/26
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।